

पत्र सूचना शाखा  
सूचना जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

**आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आज 53 हजार से अधिक मामलों में हुई  
कार्यवाही, 197 एफ0आई0आर0 दर्ज  
16 हजार से अधिक लाइसेंसी हथियार जमा/निरस्त  
2058 अवैध असलहे एवं 3545 कारतूस सीज  
सी0आर0पी0सी0 की धारा 107/116 के तहत 6.76 लाख व्यक्ति पाबन्द  
अब तक कुल 116475 लीटर अवैध शराब जब्त गयी**

लखनऊ : दिनांक :- 13 जनवरी, 2012

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में आज 837 वालराइटिंग, 1221 बैनर्स, 4687 पोस्टर, 46.5 हजार झण्डे आदि हटाये गये तथा 197 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। इसी प्रकार 121 अवैध असलहे एवं 208 कारतूस जब्त करते हुये 58 हजार से अधिक व्यक्तियों को सी0आर0पी0सी0 की धारा-107 एवं 116 के तहत पाबन्द किया गया। अवैध हथियार बनाने वाले 332 कारखानों को सीज किया गया। लाइसेंसी हथियारों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के तहत 12832 लाइसेंसी हथियार जमा/निरस्त/निष्प्रभावी किये गये तथा 4088 संवेदनशील केन्द्रों का चिन्हीकरण किया गया और 22203 व्यक्तियों को चुनाव में समस्या उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के रूप में चिन्हित किया गया।

यह जानकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम ने दी है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन के तहत प्रदेश में अब तक लगभग 4.34 लाख मामलों में कार्यवाही करते हुए लगभग 36.6 हजार वालराइटिंग, 1.68 लाख पोस्टर तथा लगभग 2.30 लाख बैनर्स एवं अन्य सामग्री हटाते हुए 1281 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव कराये जाने के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था के तहत प्रदेश में अब तक 2058 अवैध असलहों के साथ 3545 कारतूस जब्त किये गये और 6.76 लाख व्यक्तियों को धारा 107/116 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत पाबन्द किया गया। इसके अतिरिक्त 7460 लोगों के विरुद्ध गैर जमानती वारन्ट तामील कराये गये तथा अवैध हथियार बनाने वाले 3982 कारखानों पर छापे डालकर सीज किया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान अब तक लगभग 1.64 लाख लाइसेंसी हथियार जमा/निरस्त/निष्प्रभावी किये गये।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आज मध्य प्रदेश से एक ट्रक से ले जायी जा रही 850 पेटी रायल स्टैग मार्का शराब जिसमें 10200 बोतल जब्त की गयी है जो ग्वालियर डिस्टलरी मध्य प्रदेश से इटावा होते हुए अरुणाचल प्रदेश के लिए जा रही थी को संदिग्ध परिस्थितियों में जनपद फिरोजाबाद की पुलिस एवं आबकारी टीम द्वारा पकड़ी गयी जिस पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। बरामद शराब की कीमत बाजार मूल्य के अनुसार लगभग 44 लाख रूपये है। उन्होंने बताया कि गत रात इलाहाबाद में श्रीमती संगीता पत्नी राम बाबू श्रीमती कलावती पत्नी श्री मंगला के यहां

छापा मारकर 23940 लीटर अवैध मदिरा एवं 2200 किग्रा लहन जब्त की गई है। जनपद वाराणसी में 150 लीटर एवं 45 लीटर कच्ची शराब जब्त करते हुए 3 व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। जनपद एटा में 3 कैन में लगभग 90 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आज कुल 7 व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 116475 लीटर अवैध शराब जब्त गयी है।

श्रीमती मेश्राम ने बताया कि आज फ्लाइंग स्क्वाड की सूचना के अनुसार जनपद एटा में 25.50 लाख रुपये बरामद करते हुए पुरवाल सिंह को गिरफ्तार किया गया जिसका उनके पास बरामद धनराशि का कोई प्रमाण एवं विवरण उपलब्ध नहीं था। आयकर विभाग द्वारा विधिक कार्यवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद फिरोजाबाद में भी निगरानी टीम के चेकिंग के दौरान 13.477 लाख की धनराशि बरामद की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते द्वारा लगभग 27.50 करोड़ की धनराशि पकड़ी/जब्त की गयी है।

.....

सम्पर्क सूत्र- श्री अकील अहमद, सूचना अधिकारी, 9453194440